

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

नगरीय मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान, जयपुर  
आंक: 5294,  
दिनांक: 27/6/18

रा. व. 10(3)नवि/3/2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26 JUN 2018

आदेश

विनमोद समसख्यक आदेश दिनांक 20.07.2017 के द्वारा वृहद जनहित में मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के उद्देश्य को परिभाषित करते हुए न्यू जेन को गई है एवं वृहद जनहित में मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम-2010 की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने तथा अंतिम आदेश जारी किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने का निर्देश है।

यह पुन स्पष्ट किया जाता है कि संबधित प्राधिकरण/न्यास में वृहद जनहित हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण प्राप्त होने पर संबधित प्राधिकरण/न्यास द्वारा प्रकरण नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावें। समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन वृहद जनहित में होने की स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय किये जाने पर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाये एवं अनुमोदन पश्चात ही भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

*(Handwritten Signature)* 20/6/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

*(Handwritten Signature)*  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

*(Handwritten Signature)* 20/6/18  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम